DINESH KUMAR SHARMA
Advocate
Regn. No. U.P. 15955/99

IV-1190

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

TREASURY OFFICE GHAZIABAD

27 JUL 2017

रु. 500

Chief Treasury Officer

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 720323

-: ट्रस्ट डीड :-

-: स्टाम्प अंकन 800/-रूपये का :-

1- **ट्रस्ट का नाम:-** "चौधरी मोहनलाल ऐजुकेशनल ट्रस्ट"

2- **पंजीकृत कार्यालय :-** ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय, खसरा नम्बर-1366, नूरनगर, गाजियाबाद में स्थित होगा, जो आवश्यकतुसार किसी अन्य स्थान पर बदला जा सकता है।

3- **कार्यक्षेत्र :-** सम्पूर्ण भारतवर्ष।

4- **ट्रस्ट का उद्देश्य :-**

(1) शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, प्रावैधिक, वोकेशनल व तकनीकी शिक्षण संस्थान, उच्चतर विद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय व डीम्ड विश्वविद्यालय आदि की स्थापना करना।

(2) गरीबों की सहायता हेतु धर्मार्थ, चिकित्सालय आदि की स्थापना करना।

(3) धर्मशाला, मन्दिर व अन्य धर्मस्थलों की स्थापना करना।

(4) कम्प्युटर शिक्षा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

(5) छात्रों के मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालयों की स्थापना करना।

(6) छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मनोरंजन केन्द्रों, व्यायामशालाओं की स्थापना करना।

(7) भूकम्प, बाढ व अन्य प्रकार में पीडित व्यक्तियों की सहायता करना।

(8) गरीब/निर्धन कन्याओं के उचित शिक्षा, वैवाहिक संस्कार सम्पन्न कराना।

(9) गरीब बच्चों/छात्रों को पुस्तक व शिक्षण सामग्री वितरित करना।

(10) निर्धन व गरीब लोगों के लिए जगह-जगह चिकित्सा सम्बन्धी कैम्प लगाए जाना व दवाईयों का वितरण करना।

(11) असहाय गरीब निर्बल एवं अनाथ बच्चों की परवरिश करने हेतू अनाथालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

Digitally signed by PantaSign Sub CA for DSC 2022
Date: 2022.12.25 11:46:08 +05:30
Reason: reason
Location: location

क्र0 सं0.....26......स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/8/2017
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..........
स्टाम्प की धनराशि 500/-
पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला0 न0 209
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 201.....तक
चै0 न0 86 तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद

JUL 19

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
11,000.00	220.00	100	320.00	36

श्री वेदराम
पुत्र श्री मोहन लाल
व्यवसाय व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी स्थायी मकान नं0 13 मकरमतपुर सिंकरोड गा0बाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/8/2017 समय 4:52PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रभारी
उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
3/8/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री वेदराम
पुत्र श्री मोहन लाल
पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद

श्री राजीव
पुत्र श्री वेदराम
पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य
निवासी मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद

श्रीमती कुसुम
पत्नी श्री वेदराम
पेशा ग्रहणी/नौकरी/अन्य
निवासी मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद

श्रीमती मुनीष
पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह
पेशा ग्रहणी/नौकरी/अन्य
निवासी मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 762689

(12) असहाय व वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल एवं रखरखाव करने हेतू वृद्ध आश्रमों की स्थापना एवं संचालन करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना व चंदा, दान, ऋृण अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना व भूमि, भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तान्तरण अथवा पट्टे या किराये पर लेना व बन्धक रखना व अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तान्तरण करना व ट्रस्ट के उद्देंश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय एवं सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों से अनुदान व ऋृण प्राप्त करना।

(14) किसी भी प्रकार मनुष्य, प्राणी, जीव-जन्तु के हित में कार्य करना/सहायता करना।

<u>ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय :-</u> खसरा नम्बर-1366, नूरनगर, गाजियाबाद में स्थित होगा। यह ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट के संचालन के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड होगा। जिसमें इस संस्था की रजिस्ट्री के समय निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे :-

वेदराम Rajeev कुसुम Mukesh

क्र० स०.....27.....स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/8/2017
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...............
....
स्टाम्प की धनराशि....50..........................
पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला0 न0 209
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 20.....तक
बै0 न0 86 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान दिनेश कुमार
मथन सिंह

पेशा व्यापार/नौकरी/अन्य

निवासी ग्राम गढी सिकरोड गा0बाद

व उमेश कुमार
दिलीप सिंह

पेशा व्यापार/नौकरी/अ

निवासी डी-158 हर्ष विहार दिल्ली

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
3/8/2017

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 762690

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूरा पता
1-	**श्री वेदराम**	मोहनलाल	अध्यक्ष	मकान नम्बर-13, मकरमतपुर, सिकरोड, गाजियाबाद।
2-	**श्री राजीव**	श्री वेदराम	संरक्षक	मकान नम्बर-13, मकरमतपुर, सिकरोड, गाजियाबाद।
3-	**श्रीमती कुसुम**	श्री वेदराम	सदस्य	मकान नम्बर-13, मकरमतपुर, सिकरोड, गाजियाबाद।
4-	**श्रीमती मुनीष**	सुरेन्द्र सिंह	कोषाध्यक्ष	मकान नम्बर-13, मकरमतपुर, सिकरोड, गाजियाबाद।

क्र० सं0......26.........स्टाम्प विक्रय की तिथि...03/8/2017
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.................. चौधरी

....
स्टाम्प की धनराशि....500.............................
पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला0 न0 209
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 20........तक
चै0 न0 86 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

न्यासी

Registration No.: 1190 Year : 2,017 Book No. : 4

0101 वेदराम
मोहन लाल
मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद
व्यापार/नौकरी/अन्य

0102 राजीव
वेदराम
मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद
व्यापार/नौकरी/अन्य

0103 कुसुम
वेदराम
मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद
ग्रहणी/नौकरी/अन्य

0104 मुनीष
सुरेन्द्र सिंह
मकान नं0 13 मकरमतपुर सिकरोड गा0बाद
ग्रहणी/नौकरी/अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 762691

1- ट्रस्ट में चारों सदस्य, ट्रस्टी आजीवन रहेंगे। यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट छोडना चाहता है तो तीन महीने पूर्व नोटिस देगा। भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट में किसी भी अन्य व्यक्ति को सदस्य/ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

2- यदि कोई सदस्य ट्रस्ट से पृथक होना चाहें अथवा उसका स्वर्गवास हो जाए अथवा उपरोक्त ट्रस्ट शेषं सदस्यों/ट्रस्टी द्वारा उसे अक्षम अयोग्य घोषित कर दिया जाये तो वह व्यक्ति ट्रस्टी नहीं रहेगा बोर्ड के सभी निर्णय सदस्यों/ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से लिये जायेगे।

3- ट्रस्ट के कार्यो के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निर्णय सर्वसम्मति से किया जायेगा। ट्रस्ट बार्ड उपयुक्त तथा उचित समझने पर सम्बंधित कार्यो के निर्वहन हेतु अपनी सहायता के लिए उपसमितियां तथा परामर्श दाता समिति का गठन कर सकता है और आवश्यकतानुसार बोर्ड सम्बन्धित समिति को निश्चित समय के लिए यथा सम्भव अधिकार भी दे सकता है।

वेदप्रकाश Rajeev कुलदीप Mukesh

क0 स0. ......21...... स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/8/2017
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........................
.... चौधरी मोहनलाल ...
स्टाम्प की धनराशि....50/-..........................
पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला0 न0 209
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 201...... तक
चै0 न0 86 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

गवाह

Registration No.: 1190 Year : 2017 Book No. : 4

W1 दिनेश कुमार
मथन सिंह
ग्राम गढी सिकरोड गा0बाद
व्यापार/नौकरी/अन्य

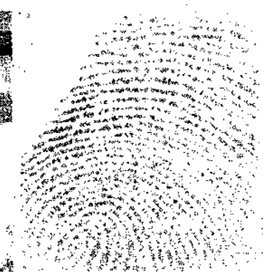

W2 उमेश कुमार
दिलीप सिंह
डी-158 हर्ष विहार दिल्ली
व्यापार/नौकरी/अन्य

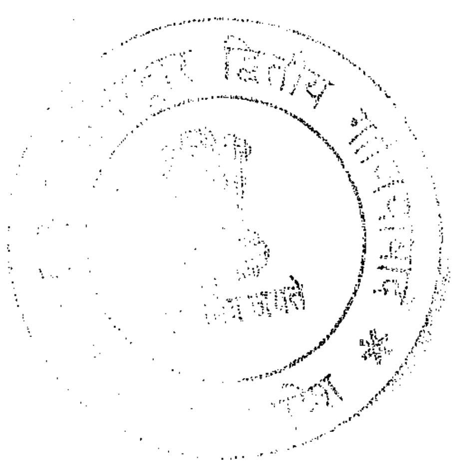

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 762692

4- ट्रस्टी बोर्ड ट्रस्ट के कार्यों हेतु नियम व उपनियमों की स्वयं की रचना करेगा तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनमें परिवर्तन, परिवर्धन तथा संशोधन करने की शक्ति भी तय करेगा तथा उपरोक्त सभी को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उपरोक्त सभी प्रकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों को उचित भत्ता की व्यवस्था भी कर सकता है।

5- ट्रस्ट बोर्ड को ये अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता, चाहे यह सहायता नकद अथवा चल-अचल सम्पत्ति के रूप में हो, को स्वीकार कर सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं मूल सिद्धान्तों के विपरीत न हों, ट्रस्ट के कोष में अतिरिक्त धन होने पर राष्ट्रीकृत बैंक में ही जमा किया जायेगा तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा। तथा उसे आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

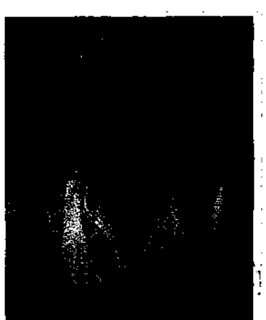

...UMAR SHARMA
Advocate
Regn. No. U.P. 15955/99
...h. No.-86, Tehsil Compound, GZB.

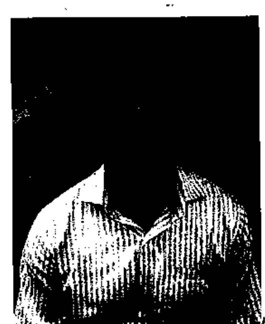

...DINESH KUMAR SH...
Advocate
Regn. No. U.P. 15955/99

क्र० सं०....30....स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/8/2017
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..........
.... — चौधरी मोहनलाल ...
स्टाम्प की धनराशि 50/-
पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला० न० 209
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 20....तक
चै० न० 86 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 762693

6- ट्रस्ट के कोष के लिए किसी भी राष्ट्रीयतकृत बैंक में खाता खोला जायेगा। यह खाता आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिए चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप में खोले जा सकते हैं, इन खातों का संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष, दोनों ट्रस्टियों के हस्ताक्षर द्वारा संचालित होंगे।

7- ट्रस्ट के धन को बैंक में इस प्रकार से जमा किया जायेगा जो कि समय-समय पर यथा संशोधन आयकर अधिनियम 1951 की धारा 11 की उपधारा 5 में स्पष्ट किये गये हैं। अन्य संस्थाओं को भी यथासम्भव सहायता कर सकता है।

8- ट्रस्ट के सदस्यों की शंका की दशा में इस बात का विनिश्यच करने की शक्ति होगी कि क्या धन या सम्पत्ति की इस विलेख के प्रयोजन के लिए पूंजी या आय माना जाये और क्या आय या पूंजी में से कोई व्यय या सर्व संदत या वहन किया जाना चाहिए तथा ऐसा प्रत्येक विनिश्चय आय देकर तथा निर्णायक होगा। किन्तु इसमें अर्नविष्ट कोई भी बात ट्रस्ट के सदस्यों को इस विलेख द्वारा अप्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए ट्रस्ट की आय या संग्रह की प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जायेगी।

वेदराम Rajeev कुसुम Muneesh

...SH KUMAR SHARMA
Advocate
... No. U.P. 1595/...
... Tehsil Compound, GZB.

...KUMAR SHAR...
Adv...
Regn. No. U.P. 1595...
Ch. No.-86, Tehsil Compound, G...

क्र० स० 31/21 स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/8/2017

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible] चौधरी मोहनलाल [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 50/-

पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला० न० 209

लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 201.7.....तक

चै० न० 86 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

9- इस विलेख के ट्रस्ट सदस्य तत्समय ट्रस्ट अथवा इस विलेख की शक्तियों के निष्पादन में या उसके बारे में किये गये सभी व्ययों की उनके पास की निधि या धन में स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकते है। और अदायगी कर सकते हैं।

10- इस विलेख के तथा उन नियमों, विनियमों तथा उपविधियों, के जो समय समय पर ट्रस्ट बोर्ड द्वारा बनाये जायें, उपबंधों के अध्यधीन ट्रस्ट बोर्ड या उसकी कार्य पालिका समिति या कोई भी समिति या उप समिति या काई अन्य निकाय या उसका कोई भी पदाधिकारी या एक या एक से अधिक ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्ट का प्रबन्ध और प्रशासन चलायेंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कार्य और बातें करेंगे जो आवश्यक हों।

क) नकद या वस्तु के रूप में दान, अनुदान या अभिदान प्राप्त करना। नकद दान लेने के दशा व ट्रस्ट से सम्बन्धित अन्य सभी खर्चों में रसीद/स्लिप आदि पर धनराशि अंकित होगी व पूरा लेन-देन रिकॉर्ड सुरक्षित कोषाध्यक्ष की जिम्मेंदारी व देखरेख में रहेगा व समय-समय पर ट्रस्टियों के सामने आवश्यकतानुसार दिखाया जाएगा।

ख) ट्रस्ट के किसी भी धन को जो उसके प्रयोजनों के लिए तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियों में या किसी ऐसी अन्य रीति में जो समीचीन समझी जाये, विनियोजित करना और उसके सम्बन्ध में व्यवहार करना।

ग) इस विलेख के ट्रस्ट को चलाने के लिए कोई समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ और परामर्शी या व्यक्तियों या अभिकर्ता या अटर्नी, जो वह आवश्यक समझें ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर वह उचित समझे, नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों की कार्योन्वित करने के लिए ऐसे व्यय करने और इस प्रयोजन के लिए ट्रस्ट के किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित ऐसी सब शक्तियों से उन्हें विनिहित करना।

घ) न्यायालय में या उसके बाहर सब वाद कार्यवाहियों और अन्य कार्यवाहियों की संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तय करना, समझौता करना और सब मतभेद और मांगें तय करना और ऐसे कोई या सब वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियां, मतभेद और मांगे मध्यस्थ को निर्दिष्ट करना। और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखा का समायोजित और तय करना तथा उससे सम्बंधित सब बातें करना।

वेदप्रकाश Rajeev कुसुम Muneesh

ड) ट्रस्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति या सम्पत्तियाँ क्रय करना किराये पर लेना, पट्टे पर लेना और निर्माण करना।

च) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उचित समझी जायें, धन उधार लेना और दायित्व करना और ऐसे ऋणों और हितों के लिए प्रतिभूति देने हेतु उसके सम्बन्ध में ऐसे करार, हस्तान्तरण पत्र विलेख और बातें करने के लिए प्राधिकृत करना।

छ) ट्रस्ट निधि का सत्समय भाग बनने वाली किसी अचल सम्पत्तियों में सुधार करने मरम्मत करने या परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति सहित ऐसी राशि में जो वह उचित समझे उसकी या उनकी व्यवस्था करना और किसी भी प्रकार के पट्टे मन्जूर करना या नवीनीकरण करना और पट्टो का अभ्यपर्ण स्वीकार करना।

ज) ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जो वह उचित समझे ट्रस्ट निधि के तत्समय भाग बनने वाली किसी चल या अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों का विक्रय या उन्हें समनुदेशित करना और प्रयोजन के आनवंगिक या सहायक ऐसे सब काम करना जो आवश्यक हो।

11- किसी कठिनाई विवाद या मतभेदी दशा में इस ट्रस्ट के किन्ही भी चार ट्रस्ट्रियों का निर्णय अन्तिम होगा, किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के उत्तराधिकारी को पदाभिहित करेंगे और इस विलेख को लागू करने के सम्बन्ध में एवं ट्रस्टी इस विलेख के निर्वचन के बारे में किसी कठिनाई विवाद या मतभेद की दशा में उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

वेदराम Rajeev कुसुम Muneesh

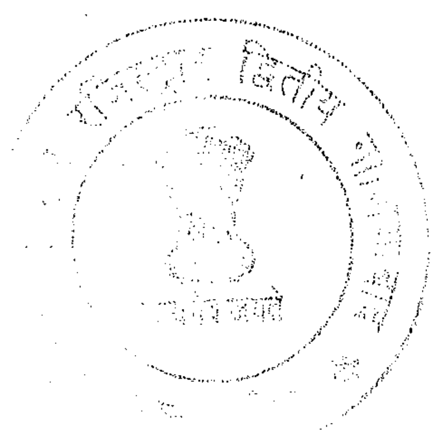

12- इस विलेख के ट्रस्ट के सदस्यों तथा कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति या उपसमिति या समिति के सदस्यों, विशेषज्ञों, परामर्शियों पदाधिकारियों, कार्यपालिका के पदाधिकारियों या स्टाफ को ट्रस्ट के निष्पादन, कार्यान्वियन और उसको पूरा करने के लिए ट्रस्ट को निधि में ट्रस्ट के सदस्यों के विवेकानुसार रकम जमा की जा सकेंगी।

13- ट्रस्ट के सदस्यों किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में ऐसे किसी अनय ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था को जिसके उद्देश्य इस विलेख के उद्देश्य के समान हैं, इस आश्य और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था इस विलेख द्वारा सांजिल न्याय का अनिवार्य अंग माना जायेगा, इस विलेख द्वारा संजिन इस न्यास के साथ सभा में लिप्त करने के लिए अनुज्ञात करने और मन्जूरी देने हेतु स्तन्त्र होंगे परन्तु ऐसी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी और जिनमें इस ट्रस्ट के नाम में परिवर्तन अर्न्तवलित हो या जो ट्रस्ट के उद्देश्यों से असंगत या प्रतिकूल हों।

14- यदि किसी कारणवश ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तब ऐसी दशा में इस ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देनदारी के बाद बच जाती है वह ट्रस्टी ना बॉटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उद्देश्य इसी ट्रस्ट के अनुरूप हो, को सौंप दी जायेगी।

15- आज निष्पादन की तारीख पर उपर्युक्त ट्रस्ट के नाम कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं है। इस ट्रस्ट के द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है।

16- कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट की धनराशि अथवा ट्रस्ट के किसी भी भाग से अथवा चल अचल सम्पत्ति से अपने निजी/अपने किसी वारिसान/अपने किसी पारिवारिक का कोई निजी फायदा नहीं पहुँचाएगा एवं बिना किसी लाभ व हानि इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनकर समाज सेवा/ट्रस्ट के कार्य करता रहेगा।

17- यह कि किसी भी ट्रस्टी या सदस्य को अध्यक्ष व संरक्षक की सहमति से पृथक किया जा सकता है।

18- यह कि ट्रस्ट उक्त के पास आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं है तथा न ही ट्रस्ट के आधार पर किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा है एवं इस ट्रस्ट डीड मे ट्रस्ट उक्त का जो कार्यालय दिखाया गया है, वह ट्रस्ट की अपनी निजी सम्पत्ति नहीं है।

19- यह कि ट्रस्ट उक्त की प्रारिम्भक धनराशि 11,000/-रूपये है।

20- अतः आज हम चारों ट्रस्टियों ने पूर्णतः पढकर सन्तुष्टि कर ली है और चारों ट्रस्टी समक्ष सब-रजिस्ट्रार उपस्थित होकर ट्रस्ट डीड को पंजीकृत करा रहे हैं।

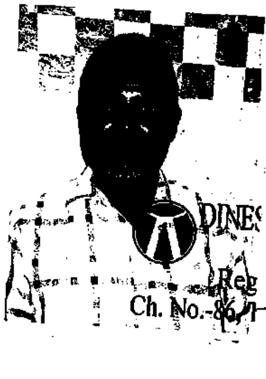

DINESH KUMAR SHARMA
Advocate
Regn. No. U.P. 15955/99
Ch. No.-86, Tehsil Compound, GZB.

DINESH KUMAR SHARMA
Advocate
Regn. No. UP 15955/99
Ch. No. 86, Tehsil Compound, GZB.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 762694

अतः हम अपनी स्वस्थ इन्द्रियों, स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ चित्त रहते हुए अच्छी सेहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच समझ कर यह ट्रस्ट नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

....

गवाह नं01 दिनेश कुमार S/o श्री मदन सिंह R/o ग्राम गढ़ी [illegible] गाजियाबाद

गवाह नं02 उमेश कुमार S/o श्री दिलीप सिंह R/o D-158 [illegible] विहार दिल्ली।

दिनांक 03-08-2017 ई0

DINESH KUMAR SHARMA
Advocate
Regn. No. U.P. 15955/99
Ch. No.-86, Tehsil Compound, GZB.

क्र० सं0. 32 ...स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/8/2017
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता... चौधरी

स्टाम्प की धनराशि 50
पूरण सिंह रावत स्टाम्प विक्रेता ला0 न0 209
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 201...तक
बै0 न0 86 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

आज दिनांक **03/08/2017** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **461**

पृष्ठ सं. **339** से **374** पर क्रमांक **1190**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उपनिबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद
3/8/2017